



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश (कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

[E-mail—pccfwl@mp.gov.in](mailto:pccfwl@mp.gov.in)

रेल नेटवर्क के जरिये दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में तस्करी में शामिल संगठित गिरोह का सदस्य आरोपी दीपक पारखे की प्रथम जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल, मध्यप्रदेश से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती (19/26,दिनांक 15.04.2026)

दिनांक 03.02.2026 को रेल गाड़ी संख्या 19322 पटना-इंदौर एक्सप्रेस में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल, रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) एवं वनमण्डल भोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए संत हिरदाराम स्टेशन से 01 आरोपी अजय सिंह राजपूत वल्द राजकुमार निवासी इंदौर जो प्रथम श्रेणी वातानकूलित श्यानयान (फस्ट एसी कोच) में Attendant के रूप में कार्यरत था,उसके पास से 311 नग दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के जीवित कछुओं को जप्त कर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने वन अपराध प्रकरण 237/23 दिनांक 03.02.2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी को फारेस्ट रिमाण्ड में लेकर पूछताछ उपरांत एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संग्रहण कर प्रदेश के भीतर कई शहरों नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, देवास, उज्जैन,नागदा, शाजापुर एवं प्रदेश के बाहर लखनऊ (उत्तरप्रदेश) में कई दल बनाकर एक साथ छापामार कार्यवाही करते हुए जलीय वन्यजीव कछुओं के अवैध व्यापार में लिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जो रेल के माध्यम से विगत कुछ समय से वन्यजीवों की तस्करी में लिप्त था तथा गिरोह के कई सदस्यों जो कि Pet shop Owner, Pet Parent, Dog Breeder & Rail A.C. First Coach Attendant है,उक्त कार्यवाही में कुल 313 नग जीवित दुर्लभ, प्रतिबंधित एवं अनुसूची-1 में दर्ज चार विभिन्न प्रजाति के वन्यजीव कछुओं (*Indian Tent Turtle, Indian Roofed Turtle, Crowned River Turtle & Star Tortoise*) एवं 02 नग जीवित वन्यजीव *Rose-ring parakeet* को जप्त किया गया साथ ही अपराध में प्रयुक्त आरोपियों से 01 नग मोटरसाईकिल एवं 07 नग मोबाईल फोन को भी जप्त कर मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के विभिन्न शहरों से 08 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रकरण में शामिल आरोपी दीपक पारखे, निवासी इंदौर द्वारा माननीय जिला सत्र न्यायालय भोपाल मध्यप्रदेश में प्रथम जमानत याचिका क्रमशः BA-1096/2025 दायर की जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई भोपाल द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो दुर्लभ जलीय वन्यजीव की तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति के आधार पर बीएनएसएस की धारा 483 व 439 के तहत खारिज की गई। उक्त आरोपी लगभग 2 माह से केन्द्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध है, प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी

कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष- एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल